SHRI K. RAGHU RAMAIAH: Is it necessary to have a formal motion when the whole House and the Ministetr have agreed to it?

PROF. MADHU DANDAVATE: Let the Minister of Parliamentary Affairs move a motion. We will accept it.

SHRI S. M. BANERJEE: Sir, either you direct that this should be postponed, which can be agreed to, or the motion should be put.

MR. CHAIRMAN: I am in entire agreement with you. That is why I have said that there are three motions.

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: Can the Chair not postpone it?

MR. CHAIRMAN: I think it will not be proper for the Chair to adjourn a debate on a particular Bill.

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: There is no controversy about it; either the Chair can direct or I can move a motion. I move:

"That the clause-by-clause consideration of the Bill be adjourned."

MR. CHAIRMAN: The question is: "That the clause-by-clause consideration of the Bill be adjourned".

The motion was adopted.

17.04 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (AMENDMENT) ORDINANCE AND

MOTION RE: DISAPPROVAL OF PRESIDENTIAL ORDER SUSPENDING CITIZENS RIGHT TO MOVE A COURT AGAINST DETENTION ORDERS UNDER MISA

MR. CHAIRMAN: We will now take up item Nos. 12, 13 and 14, which will be taken up together. There is one resolution for disapproval of the Ordinance and another resolution for disapproval of the Presidential order. Shri Vajpayee can move both the motions together and make one speech.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर)। सभापति जी मैं संकल्प पेश करता हूं: "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 17 सितम्बर, 1974 को प्रख्यापित आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश सं० 11) का निरनुमोदन करती है"

मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं—

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 359 के खण्ड (1) के अधीन 16 नवम्बर, 1974 को जारी किये गये राष्ट्रपति के आदेश का निरनुमोदन करती है जिस के द्वारा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के खण्ड (4), (5), (6) और (7) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिये आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, 1971 के अधीन नजरबन्दी आदेशों के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में जाने के नागरिक अधिकारों को निलम्बित किया गया है और आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अधीन नजरबन्दी आदेशों के सम्बन्ध में उपर्युक्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिये किसी न्यायालय में लम्बित कार्यवाहियों को भी निलम्बित किया गया है।"

सभापतिजी आज के समाचार पत्रों में यह वृतांत प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है कि देश के कई प्रमुख नगरों में तस्करों की गतिविधियां फिर से चालू हो गई हैं। समाचार पत्रों में कहा गया है कि कुछ सप्ताहों तक मन्द रहने के बाद अनेक महत्वपूर्ण नगरों में तस्करों ने अपनी कार्यवाहियां फिर से तेज कर दी हैं। एक देशव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार कुछ लोगों की पकड़-धकड़ के भय से जो शीर्ष तस्कर छिपे हुए थे वे फिर से बाहर आ गये हैं और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है।

सभापतिजी, तस्करी एक तरफ के पहाड़ की तरह से है जिसका एक हिस्सा जितना दिखाई देता है उससे अधिक हिस्सा दिखाई नहीं देता। यह समझना गलत होगा कि केवल 500 या 600 व्यक्ति इस देश में तस्करी का सारा जाल बुनने में समर्थ हैं। सरकार ने कुछ तस्करों को गिरफ्तार करने के लिये सुरक्षा अधिनियम में संशोधन किया है। यह संशोधन एक अध्यादेश द्वारा किया गया है। जब संसद की बैठक नहीं चल रही थी तब सरकार ने अध्यादेश जारी करने के अधिकार का उपयोग किया और उस के द्वारा सुरक्षा अधिनियम में परिवर्तन किया। लेकिन, सभापति महोदय वह परिवर्तन ही काफी नहीं हुआ। जो तस्कर सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये उनमें से कुछ अदालतों द्वारा छोड़े जाने लगे। सरकार ने इस बात पर विचार नहीं किया कि अदालतें तस्करों को क्यों छोड़ रही हैं। उस ने सारा दोष अदालतों के मत्थे मढ़ने की कोशिश की और संविधान के अनुच्छेद 359 के अन्तर्गत एक आदेश जारी कर के जो तस्कर नजरबन्द थे, उनके लिये अदालतों का दरवाजा खटखटाने का रास्ता बन्द कर दिया।

सभापति महोदय 3 दिसम्बर, 1971 को देश में संकट कालीन स्थिति की घोषणा हुई थी। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। आज 2 दिसम्बर, 1974 है। तीन वर्ष हो गये हमने पाकिस्तान की जीती हुई जमीन वापस दे दी, कैदी लौटा दिये, शिमला और दिल्ली में बैठकर सामान्य स्थिति लाने के लिये समझौते किये। अब दोनों देशों के बीच व्यापार भी आरम्भ हो गया है। आज संकटकालिक स्थिति बनाये रखने का क्या औचित्य है? लेकिन संकटकालिक स्थिति बनाये रखी जा रही है। उस स्थिति के अन्तर्गत पहले तो तस्करों को एम० आई० एस० ए० में बन्द किया जा रहा है और उसमें भी जब अदालतें न्याय की कसौटी पर कस कर कुछ मामलों में उनकी व्यक्तिगत स्वाधीनता वापस लौटा देती है तो सरकार ने राष्ट्रपति का आदेश जारी कर के तस्करों को मूलभूत अधिकारों से वंचित कर दिया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम तस्करों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करने के पक्ष में हैं। तस्करी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है, जो भी तस्करी करता है वह देश के प्रति गद्दारी का दोषी है। लेकिन गद्दारों के खिलाफ भी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही होगी। अभी देश में कानून का राज्य है जंगल का राज्य नहीं है। मेरा आरोप है कि यह सरकार तस्करों के विरुद्ध सामान्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं करना चाहती। सारा देश मांग कर रहा है कि तस्करों को खुली अदालत में पेश किया जाय उन पर मुकदमा चलाया जाय उनके विरुद्ध जो भी प्रमाण सरकार के पास हैं उन्हें पेश किया जाय। वे तस्कर किस के संरक्षण में तस्करी करते थे उन राजनैतिक नेताओं को कस्टम और पुलिस के अफसरों को भी बेनकाब किया जाय और तस्कर कड़ी से कड़ी सजा के भागीदार बनायें जायें। लेकिन सरकार उन्हें खुले अदालत में पेश करने के लिये तैयार नहीं है, उन पर मुकदमा चलाने के लिये प्रस्तुत नहीं है। उन्हें आराम से नजरबन्द करने के पक्ष में है। सभापति महोदय आप तो वकील हैं, अभी अभी यू० एन० ओ० से वापस आये हैं, ताजा दिल और दिमाग ले कर आये हैं जरा इस मामले में भी अपना ताजा दिमाग काम में लाइये। नजरबन्दी की जाती है किसी व्यक्ति को भविष्य में कोई काम करने से रोकने के लिये। नजरबन्दी इस के लिये काम में नहीं लायी जाती कि जो पुराने पाप हैं उस के लिये सजा देने के लिये। क्या केवल जो तस्कर पकड़े गये हैं उन्हें भविष्य में तस्करी करने से रोकना इतना ही उद्देश्य है? क्या 600 लोगों को पकड़ने से तस्करी बन्द हो जायेगी? उन्होंने जो पुरानी तस्करी की थी जिस के लिये वह दोषी हैं क्या उन्हें उस के लिये दंड नहीं मिलना

चाहिये ? उन्हें नजरबन्द करने से उनके पुराने अपराध के लिये उन्हें दोष कैसे दिया जायगा ? लेकिन सरकार उन्हें सजा देना नहीं चाहती।

सभापति महोदय, तस्करों के विरुद्ध एम० आई० एस० ए० का प्रयोग सरकार की कानूनी कार्यवाही का देश के सामान्य कानून के अन्तर्गत होने वाली कार्यवाही का एक मखौल है। तस्करी एक अपराध है। सामान्य कानून के अन्तर्गत उन से निपटने की शक्ति सरकार में होनी चाहिये। अगर सामान्य कानून अपर्याप्त हैं तो उन कानूनों को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिये सरकार सदन में आ सकती है। यह सदन सरकार को तस्करी को समाप्त करने के लिये आवश्यक अधिकार देने में संकोच नहीं करेगा। लेकिन राष्ट्रपति का आदेश निकाला गया है 359 के अन्तर्गत। 359 तब तक चलेगी जब तक देश में आपत्तिकालीन स्थिति रहेगी। आखिर आपत्तिकालीन स्थिति तक रहेगी ? क्या तस्करी भी अब विदेशी आक्रमण है जिस का सामना बिना मरजेंसी की घोषणा के नहीं हो सकता ? अभी तो इमरजेंसी चल रही है, मुझे शक है या तो सरकार अनिश्चित काल के लिये इमरजेंसी बनाये रखना चाहती है या फिर कुछ दिन के लिये तस्करों को जेल में रख कर बाद में छोड़ देना चाहती है। अन्यथा इमरजेंसी के अन्तर्गत तस्करों को अदालत में जाने से रोकने का आदेश निकालने का कारण क्या है ? जब इमरजेंसी खत्म होगी आदेश रद्द हो जायगा तस्कर अदालत में जा सकेंगे तब सरकार क्या करेगी ?

सभापति महोदय, ला कमीशन ने इस मामले में कई साल पहले विचार किया था और उसने 47 वीं रिपोर्ट में यह कहा था :

"We have carefully considered this question and have given due consideration to the general tenor of the majority decision in *Dhillon's case* and the *obiter* observations made by Chief Justice Sikri who spoke for the majority in the said case. Our considered opinion is that, on the whole, it would be advisable for the Government to secure constitutional amendment enlarging the contents of Item 9 in List I of the Seventh Schedule. We accordingly suggest that Item 9 of List I may be amended so as to read as follows:—

'Preventive Detention for reasons connected with Defence, Foreign Affairs, the security of India, the effective realisation of duties of Customs and Excise, or the conservation of Foreign Exchange; persons subjected to such detention.'"

यह विधि आयोग का सुझाव था। सरकार इस सुझाव पर सोती रही, तस्करी चलती रही, देश की अर्थ-व्यवस्था को खोखला करती रही। 1,000 करोड़ रु० से लेकर 1,200 करोड़ रु० की तस्करी प्रतिवर्ष देश में होती थी। पहले चोरी छिपे सोना लाया जाता था। स्वर्ण नियंत्रण कानून ला कर सरकार ने छोटे छोटे स्वर्णकारों को रोजी रोटी से वंचित करने का काम तो किया मगर जो सोने की तस्करी में लिप्त तस्कर थे उनके विरुद्ध उसने कठोर कार्यवाही नहीं की। यह ठीक है कि अब सोने की तस्करी कम हो गई है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव बढ़ गया है। लेकिन सोने के अतिरिक्त अब कपड़ा आ रहा है, हीरे जवाहारात आ रहे हैं, घड़ियां आ रही हैं, ट्रांजिस्टर्स आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो माल सरकार बरामद करती है, तस्करों के हाथ से पकड़ा जाता है उसकी मात्रा बढ़ रही है। कीमत बढ़ रही है। इसका अर्थ यह है कि तस्करी पिछले सालों में निरंतर बढ़ रही है। 1971 में 8.50 करोड़ का सामान पकड़ा गया, 1972 में 11.50 करोड़ का, 1973 में 14.50 करोड़ का और 1974 के प्रथम आठ महीनों में 17.00 करोड़ रु० का सामान पकड़ा गया। जो सामान पकड़ा गया है उससे वह ज्यादा सामान है जो पकड़ा नहीं गया।

सभापति जी, यह जो 17 करोड़ की बात कही गयी है इसमें 11.50 करोड़ रु० का कपड़ा आया है, एक करोड़ रु० की घड़ियां हैं और कुल ढाई लाख रु० का सोना। यह तस्करी का नया पैटर्न है, नया ढंग है।

सभापति महोदय, तस्कर अपना रिजर्व बैंक चलाते हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह बात आप को कैसे मालूम है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : डागा जी, कुछ मामलों में हम अन्तर्यामी हैं। ये बातें छिपी हुई नहीं हैं। एन्टी-स्मगलिंग आपरेशन के लिए नियुक्त आफ़िसर, श्री बाघ, ने समाचारपत्रों को दी गई एक भेंट में यह बात स्वीकार की है कि तस्कर अपना रिजर्व बैंक चलाते हैं। बम्बई के एक समाचार पत्र में उस रिजर्व बैंक का पता भी छपा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उस पर छापा नहीं मारा है।

तस्करों का मामला इस सदन में इस साल बड़े विस्फोटक ढंग से तब उठा जब वित्त मंत्रालय के पुराने राज्य मंत्री, श्री गणेश, ने समाचारपत्रों को एक भेंट में बताया कि तस्कर एक समानान्तर सरकार चला रहे हैं, उनकी अपनी टेलीफोन व्यवस्था है, वे कस्टम अधिकारियों के टेलीफोन सुनते हैं, समाज में उन्हें ऊंचा दर्जा मिला है और उनके राजनैतिक सम्बन्ध हैं। बाद में कांग्रेस के डा० वी० के० आर० वी राव ने एक ध्यान दिलाओ सूचना के अन्तर्गत इस विषय में एक वक्तव्य की मांग की थी। श्री गणेश ने यह भी कहा था कि वह तस्करों के खिलाफ़ सत्याग्रह करेंगे। लेकिन जब सदन में यह मामला उठा, तो श्री गणेश का स्वर कुछ मंद हो गया। उन्होंने तीन तस्करों के नाम भी बताये। मैं श्री गणेश को बधाई देना चाहता हूं। अफसोस है कि आज जब इस मामले पर चर्चा हो रही है, तब वह इस सदन में नहीं हैं—इस सदन में ही नहीं है, वह वित्त मंत्रालय में भी नहीं हैं। उनका पत्ता कट गया है। उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए था, मगर उन्हें दंडित किया गया। क्या इस का कारण यह है कि श्री गणेश ने जो कुछ कहा, उसने सरकार को मुसीबत में डाल दिया क्या इस का कारण यह है कि श्री गणेश के रहस्योद्घाटन से सरकार जनता के सामने कटघरे में खड़ी हो गई? उन्हें वित्त मंत्रालय से हटाया क्यों गया?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : उन्होंने श्रीगणेश किया था।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : मगर आप ने गणेश का चूहा बना दिया। "विनायक प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्" : आप ने गणेश को चूहा बनाकर दूसरे मंत्रालय में भेज दिया।

श्री ओम मेहता : वह तो चूहे पर सवारी करता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और वही चूहा उनको दूसरे मंत्रालय में ले गया। वह चूहा उनकी राय से नहीं, बल्कि प्रधान मंत्री की राय से, चलता है।

प्रश्न केवल कुछ तस्करों का नहीं है। प्रश्न व्यवस्था का है, व्यक्तियों का नहीं: हाजी मस्तान कुली था, वह करोड़पति कैसे बना? यूसफ को रंक से राजा किसने बनाया? मालिश वाला बखिया महाराज बखिया में कैसे बदला? छोटा सा नौकर, 1950 तक फेरी वाला के रूप में काम करने वाला नारंग जो टूटे-फूटे बर्तन ले कर बदले में जर्मन सिल्वर के बर्तन दे कर अपनी रोटी चलाता था, आज

लक्ष्मी-पुत्र कैसे हो गया ? ख़ाली-पेट ललित महासेठ ललित में कैसे परिवर्तित हो गया ? यह अनहोनी कैसे हुई ? इस जादू के लिए जिम्मेदार कौन है ?

प्रश्न यह है कि तस्करी कैसे जनमी, इसे किस ने पाला, इसे किस ने बढ़ाया, यह देश-व्यापी कैसे बनी, इस की मुट्ठी में सारी व्यवस्था किस ने दी, इस के सिर पर समानान्तर सरकार का सेहरा किस ने बांधा, इस के चरणों पर राजनेताओं को लोटने के लिए किस ने विवश किया।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : माननीय सदस्य को ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या बिना सरकारी सहयोग के, क्या बिना सरकारी अधिकारियों की सांठ-गांठ के तस्करी हो सकती है ? नहीं हो सकती है। कस्टम्ज़, एक्साइज, विदेशी मुद्रा नियंत्रण, आयकर अधिकारी, बिक्री-कर अधिकारी, पुलिस, गुप्तचर विभाग आदि सब इस सड़ांध में सने, और सब से बड़ी बात यह कि तस्करों को राजनेताओं का प्रश्रय प्राप्त हुआ। संक्षेप में तस्करी बिना सरकारी अनुमति के चलने वाला विदेशी व्यापार है। इस व्यापार के अनेक ढंग हैं। एक अंडर-इनवायसिंग है, दूसरा ओवर-इनवायसिंग है और तीसरा ढंग यह है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय अपने घरों को जो धन भेजते हैं, वह धन तस्करों के दलाल विदेशी मुद्रा के रूप में वहीं ले लेते हैं, और यहां रूपये के रूप में वह धन उनके घर वालों को पहुंचा दिया जाता है, रिजर्व बैंक उतनी विदेशी मुद्रा से वंचित होता है और ये तस्कर अपनी राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियों के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं। जो विदेशी पर्यटक यहां आते हैं, उनसे विदेशी मुद्रा अधिक रुपया देकर ख़रीदी जाती है और उस से यह तस्करी का काम चलता है। भारत से चोरी-छिपे प्राचीन मूर्तियां, शिला-लेख, ऐतिहासिक महत्व की वस्तुयें बाहर भेजी जाती हैं, और इस प्रकार जो विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, वह तस्करी के काम में प्रयुक्त की जाती है। तस्करी करने वाले झूठी और जाली फ़र्मों के नाम पर, जो अस्तित्व में नहीं हैं, जो केवल काग़ज़ पर हैं, लाइसेंस स्कैंडल की तरह से किसी संसद्-सदस्य का साथ ले कर, किसी मंत्री का अनुग्रह प्राप्त कर के, लाइसेंस लेने में सफल हो जाते हैं। वे विदेशों में जाली फ़र्मों को माल भेजते हैं, वहां भी रुपया कमाते हैं और वहां भी विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं।

सवाल यह है कि इस तस्करी को किस तरह से रोका जाय। अगर तस्करी के ख़िलाफ़ सरकार का अभियान एक वास्तविक अभियान होता, अगर सरकार ईमानदारी से तस्करी के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के लिए कमर कसती, तो हम उस का साथ देते। मगर हम इस अभियान पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसाकि मैंने कहा है, क्या केवल छः सी व्यक्ति तस्करी के काम में लगे हुए थे और क्या उन्हें नज़रबन्द करने मात्र से तस्करी बन्द हो गई।

अभी मैं मोटर से मंगलौर से कन्नानोर तक गया था। रास्ते में कासरगोड़ पड़ता है। वह सारा इलाका समद्री किनारे से लगा हुआ है। कासरगोड़ तस्करी का बड़ा केन्द्र था जब वहां के प्रमुख तस्कर, कलावा अब्दुल कादिर हाजी—हाजी अब्दुल्ला पकड़े गये—

श्री ओम मेहता : कौन अब्दुल्ला ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री ओम मेहता चिन्तित न हों। शेख अब्दल्ला नहीं। ये दोनों काश्मीर से आते हैं और एक दूसरे की चिन्ता करते हैं। जब वह पकड़े गये थे तो कासरगोड़ में थोड़े दिन सुनसान रहा, मगर फिर गतिविधियां शुरू हो गई। वहां उनके प्लाटिनम सिनेमा और सेफायर सिनेमा बने हुए हैं। उनके पेट्रोल के पम्प ह। साहित्यकारों के संघ का जब सम्मेलन हुआ तो वह उस में रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन

[Shri Atal Bihari Vajpayee]

थे। जब उन्हें पकड़ा गया, तो उन्हें प्रेस वालों से मुलाकात करने का मौका भी दिया गया और तब उन्होंने कहा :

"The President of India who has honoured me as one of the exporters last year has served me with an arrest warrant. It is an irony. I am an honest man and my earnings are all through honest means."

आज केरल की सरकार उनकी बदौलत टिकी हुई है। केरल के गठबंधन में शामिल....

MR. CHAIRMAN: You may continue tomorrow. Now, we will take up Half-an-Hour discussion.

17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

MEDALS WON BY SPORTSMEN IN GAMES AT TEHERAN

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, तेहरान में एशिया के खेलों में जिन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक प्राप्त किया उन को मैं मुबारकबाद देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। लेकिन ये जो खेल संगठन हैं इन के जो व्यवस्थापक और प्रबन्धक हैं उनकी व्यवस्था देख कर मेरे मन में उन के प्रति खिलाफ ख्यालात पैदा होते हैं.. (व्यवधान).. शंका ही नहीं मैं उनके ऊपर लांछन देता हूं कि उन के कारण ही हमारी स्थिति इतनी बिगड़ी है और आज भारत की खेलों के अन्दर यह हालत हुई है। भारत की तस्वीर आज धुंधली हो चुकी है। एक समय 4 मार्च 1951 को जब हिन्दुस्तान के खेल शरू हुए उस दिन उसकी पोजीशन दूसरी थी और उसे 15 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 21 कांस्य पदक मिले थे। लेकिन आज कितने सालों के बाद मैं यह देख रहा हूं कि आज उस की पोजीशन छोटे-छोटे राज्यों ईरान, साउथ कोरिया, नार्थ कोरिया, इस्राएल इन से भी गई गुजरी है। इस को सातवां और आठवां स्थान केवल मिला है। इस बात के लिए मुझे दुख है। आप इस रिजल्ट को देखें कि जापान को जहां 75 गोल्ड मैडल मिले हैं, ईरान को 36 मिले हैं, चाइना को 33 मिले हैं, साउथ कोरिया को 16 मिले हैं, नार्थ कोरिया को 15 मिले हैं वहां हिन्दुस्तान को केवल चार मिले हैं। आप मेहरबानी करके अपनी गर्दन नीचे झुकाइए। ये जो प्रबन्धक और व्यवस्थापक हैं इन के कारण हिन्दुस्तान की नाक नीची हो जाती है, गर्दन नीची होती है। हमने चार दिन खबर सुनी, चार दिन में हमारी सात टीमें आउट हो गई। पहले तो हम जिम्नास्टिक और बास्केटबाल में अपनी टीम ले नहीं गए। जिमनास्टिक, बास्केटबाल और तैराकी में अपनी टीम ली नहीं गई वहां।

.....(व्यवधान).....

आप खुद गए वहां, आप की क्या हालत बिगड़ी वह भी मैं अभी बता रहा हूं। वहां पर चार दिन में फुटबाल, वालीबाल, वाटर पोलो, टेनिस साइक्लिंग आदि की सात टीमें हमारी गायब हो गई। जब फुटबाल का खेल हुआ तो फुटबाल के खेल में चीन ने हमारी इतनी पिटाई की कि हावी हो गया। बास्केटबाल में कितनी पिटाई हुई होगी और जो वहां आब्जरवर के रूपमें गए थे उनका चेहरा कैसा उतरा होगा? उनकी हालत क्या हुई होगी जब पिटाई पर पिटाई हो रही होगी? 43 मिनिट में कितने खेल हार गए? चीन जो नया आया था खेल के मैदान में उसने भी आप को इस तरह से हराया। हाकी के अन्दर हम विश्व विजेता थे। आज कहां हैं? नाम ही नहीं है। पाकिस्तान को वह श्रेय मिला है। न हाकी में रहे हैं और खेलों में रहे। फुटबाल में चले गए, वालीबाल में चले गए।

अब मैं खिलाड़ियों की हालत कितनी खराब होती है यह बताना चाहता हूं। आप इतनी जो टीम ले कर गए, मुझे दुख है कि आप ने खिलाड़ियों की इत्तिला भी ठीक तरह से नहीं दी। मोहन सिंह जी अमेरिका से आया